

प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुभाग-1

सेवा निवृत्ति

29 सितम्बर, 1983 ई०

सं० 3572 83-335-83—डॉ बर्मन्त कुमार लोहानी, प्रधानाचार्य, राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर दिनांक 8 सितम्बर, 1983 को 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के बाद दिनांक 30 सितम्बर, 1983 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जायेगे।

आशा से,
रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
सचिव।

उद्योग विभाग

अनुभाग-1

संशोधन

23 सितम्बर, 1983 ई०

सं० 4364-आर/18-1—193-आर-83—कर्तिपथ संयुक्त निवेशकों/उप निवेशकों/सामान्य प्रबन्धकों के स्थानान्तरण विषयक विज्ञप्तियों में निम्नवृत् संशोधन किया जाता है:—

(1) विज्ञप्ति संख्या 3351-आर/18-1—315-आर-81, दिनांक 28 जून, 1983 के क्रम संख्या 1 एवं 3 के क्रमशः स्तम्भ 3 एवं 4 में “स्टोर पर्चेज” शब्द निकाल दिया जाय।

(2) विज्ञप्ति संख्या 3352-आर/18-1—193-आर-83, दिनांक 28 जून, 1983 के क्रम संख्या 4 में स्तम्भ 3 में “उप उद्योग निवेशक (स्टोर पर्चेज)” के स्थान पर “केन्द्रीय नियंत्रक (गृण चिन्हांकन योजना)” एवं क्रम सं० 9 के स्तम्भ 4 एवं 10 के स्तम्भ 3 में “उप उद्योग निवेशक (जि० उ० के०)” के स्थान पर “उप उद्योग निवेशक (सा० क०)” पढ़ा जाय।

(3) विज्ञप्ति संख्या 3615-आर/18-1—193-आर-83, दिनांक 13 जूलाई, 1983 के क्रम संख्या 3 के कालम 3 में “उप उद्योग निवेशक (जि० उ० के०)” के स्थान पर “उप उद्योग निवेशक (सा० क०)” तथा क्रम संख्या 6 के कालम 4 में “(जिला उद्योग बोर्ड) मुख्यालय कानपुर” के स्थान पर “उप उद्योग निवेशक (सा० क०)” पढ़ा जाय। उक्त विज्ञप्तियों को उक्त सौमात्र तक संवाधित समझा जाय।

आशा से,
सुभान कुमार माधवल,
सचिव।

अम विभाग

अनुभाग-1

विविध

27 सितम्बर, 1983 ई०

सं० 6320 (एस०टी०)/36-1—492 (एस०टी०)-80— चूंकि राज्यपाल संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है:—

अतएव, संयुक्त प्रातीय औद्योगिक शमडों का ऐक्ट, 1947 (1947 ई० का ऐक्ट संख्या 28) की धारा 2 के खंड (अ) के उप खंड (4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त ऐक्ट के प्रयोगन हेतु मेसर्स इंडियन टेलीफोन के इंडरट्रीज नेतृ, इलाहाबाद को इस अविसूचना के निर्गत होने के तिथि से अ.गा.मी 6 मास के लिये “सार्वजनिक उपयोगिता का सेवा” घोषित करते हैं और उपर्युक्त ऐक्ट की धारा 19 के प्रयोगन हेतु यह भी निवेश देते हैं कि इस आदेश वो सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जाये।

28 सितम्बर, 1983 ई०

सं० 6328 (एस०टी०)/36-1—1653 (एस०टी०)—

82—संयुक्त प्रातीय औद्योगिक शमडों का ऐक्ट, 1947 (सं० प्रा० ऐक्ट सं० 28, 1947) की धारा 6-ए के प्रथम उपवन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश को राज्यपाल मेसर्स विस्ट्रीट की आपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ तथा उनके अधिकारों के मध्य औद्योगिक विवाद में अ० न्याय (4), लखनऊ द्वारा दिये गये दिनांक 3 जूलाई, 1982 के पंच न्याय (अभिदेश/बाद संख्या 7/82), जो दिनांक 8 जूलाई, 1983 को न्यायालय के नोटिस द्वारे पर सरकारी निवेश संख्या 3020 (एस०टी०)/36-1—82, दिनांक 8 जूलाई, 1982 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया के लागू रहने की अवधि को उसके समाप्त होने की तिथि से एक वर्ष के लिये विस्तारित करते हैं।

आशा से,
बी० बी० बहुपूणा,
उप सचिव।

वन विभाग

अनुभाग-2

अधिसूचना

20 सितम्बर, 1983 ई०

सं० 1578/14-2-20(12)-83—अधिसूचना नं० 23(2)-96—14-स-67, दिनांक 18 मई, 1968 द्वारा अधीक्षित अधिनियम संख्या 16, 1927 को अधीन भारतीय वन

लिखित अनुसन्धी में निर्दिष्ट भूमि को नारीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) को अधीन भारतीय वन

बनाने का प्रस्ताव किया गया था।

बीर उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त अधिनियम के द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है और ऐसे कोई दावे त्वायामार नहीं किये गये हैं;

Manager (Tech.)
P I U, Varanasi

—४ विं अंकित भास्यमाला लक्षण, एवं विवरण, १५५५ दि (अप्रृष्टम् ३०, १५५२ शताब्दी)

第3章 計算機視聽

१९२१-२-२०(३०)-२२-मिस्र के लोगों ने विश्वास देते हैं (२)-२३-१५-२४-२५, रियास दृष्टि अनुसार, रेडार्ड द्वारा गठन की गई एक समिति द्वारा बनाए गए थे, १९२६ (पूर्व मिस्र १६,१८८०) के अधीन, एक उत्तम बाधा का अवलोकन किया जाता था।

उत्तर भूमि में अधिकारी के दायें का प्रतिक्रिया करने के लिये उत्तर भूमि द्वारा विविध रूपों से

‘सेवा की दृष्टि से यहाँ कार्रवाई किये गये हैं, किन्तु अपनाये जाएँगे।’

अहंकार, अस्ति, जलम् एव वृक्ष की वार्ता न हो। अपेक्षन शोषितारों का प्रश्नापत्र लाते, राज्यपाल लिखते हैं वै जलवरी, इन्होंने विद्युती के से विवरित वस्तु भवि की उत्तिष्ठत योग्यता करते हैं-

卷之三

परिवहन, विनाश, त्रुप्ति व परिवर्तन, उत्तरिका, दूसरी, सुविशेषता, अतिरीक्षा, भग्नपुरा, अमृतो, महामधुर, लेखडीया कोटवा
पर्वत गांगा (गंगा व गंगा २)

Digitized by srujanika@gmail.com

କୁମାର ପାତ୍ର
ମନୋଲିଲ
A.

प्रभागीय वनाधिकरी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर



Manager (Tech.)
P I U, Varanasi

[भाग १]

स्वास्थ्य प्रबंधन संस्करण, ३ दिसम्बर, १९७७ ₹० (अप्रैल १२, १८९९ तक संतुष्ट)

४ नवम्बर, १९७७ ₹०

लो ३७८०/१५-२-२० (४९)-७७—जनिमूलमा संहार २३ (३)/०-४८—१५-२-६८, विशेष ३० झूलाई, १९६५ हाया जनिमूलग मध्यमे 'क' में विविध भूमि की, भारतीय चन अधिनियम, १९२७ (जनिमूलम १६, १९२७) के अधीन, आरक्षित चन लगाने का व्यापार लिया गया। या;

* और इस मूलि में विविधारों के दावों की प्रत्युत करने के लिये इसका अधिनियम द्वारा नियित व्यापि समाज की गयी है;

और ऐसे कोई चाहे व्यवहार नहीं लिये गये हैं, किन्तु अमृतांशु 'ल' में दो गांधी शोभा तक रियायती ही गयी हैं;

अन्तिम, यह उच्च अधिनियम की पारा २० के अपेक्ष दावियों का प्रयोग करके, राज्यालय विशेष १५ दिसम्बर, १९७७ में अमृतांशु 'क' में डीलीवित चन भूमि की आरक्षित चन अधीन आयी है।

अमृतांशु 'क'

दृष्टि का बोका

विद्युति एवं बोकाल

लिंग	उत्तरी	पश्चिमी	पश्चिमी	पाल का नाम	गांधी शोभा	छोड़कल	विद्युति विवरण
१	२	३	४	५	६	७	
मीरजापुर	मीरजापुर	करिता	टोड़	६२-भाष्य	६१० फिल्स		
				१६८-भाष्य	६९ १० ०		
				१७०-भाष्य	१० १९ १५	जैसा कि विस्तृत गोमा विवरण में विवित है।	
				२६२-भाष्य	१ ११ ०		
				२६४-भाष्य	२५ ९ ०		
				२६९	१९ ८ ०		
				२७०-भाष्य	५ ३ ०		
				२७८	१५ १७ ०		
				६६३-भाष्य	१ १ ०		
				६९३-भाष्य	६ १३ ०		
				६९७-भाष्य	२५ ४ ०		
				७०६	३ ० ०		
				७०७	० १९ ०		
				७०८-भाष्य	० १४ ०		
				७०९	१ १६ ०		
				७१०-भाष्य	१ १ ०		
				७११	३० ३ ०		
				७१२-भाष्य	३ १८ ०		
				७११-भाष्य	१ ११ ०		
				७२४	० १३ ०		
				७२५	१ ९ ०		
				७२६-भाष्य	० १४ ०		
				७२९	३ १९ ०		
				७३३	० ९ ०		
				७३४	० ५ ०		
				७३५	० २ ०		
				७३६	० ३ ०		
				७३७	० ३ ०		
				७३८-भाष्य	१० १३ ०		
				७३९	० २ ०		
				७४०	० १ ०		
				७४१	० १७ ०		
				७४५	० ६ ०		
				७४७-भाष्य	० ३ ०		
				७४८	० ७ ०		
				७४९-भाष्य	३ १ ०		
				७५०	० १७ ०		

८१२१ मीरजापुर प्रभाग
 {
 प्रभागीय वनाधिकारी
 मीरजापुर - वन प्रभाग
 मीरजापुर

Manager (Tech.)
 P I U, Varanasi

काशा स्त्री प्रभागी
प्रभागीय वनविधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

四庫全書

Manager (Tech.)
P I U, Varanasi

卷之三

二三

• 117 •

(संस्कारण) के बारे में विवरण दी गई है। इनका अधिक सम्प्रयोग विभिन्न विषयों पर लिखने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग विभिन्न विषयों की विधि विवरण लिखने के लिए भी किया जाता है।

प्रस्तुति

卷之三

卷之三

二四

२७ अगस्त, १९८८ ५०

त० 1823-58-1-१४-१५०-१५०-१५० विश्वास
विश्वास, वारं वारं विश्वास अमेरि-३, विश्वास, वारं
प्रथा विश्वास (पर्व ० वेठ). विश्वा ३। विश्वास
१५०० (प्रथा) की अवधिपता आगु पूर्ण कर देवदत्त
हो जायेत्।

महाराष्ट्र
अस्सिम भौदेश

३८ विषय

四百四十一

10

二〇一九年四月

३५ जून, १९६४ वा
प्रियजनों को सभी तरफ से शुभ रुहानी का देना चाहिए।

जल विभाग की स्पष्टता के लिए जल संग्रहीत करने की अपेक्षा इसकी विशेषता है कि यह जल की उपलब्धता को नियंत्रित करता है। इसकी विशेषता यह है कि यह जल की उपलब्धता को नियंत्रित करता है।

କ୍ଷାଣ
ପାତି
ପରାମରି

मीरजापुर - वन

सिलेज	वर्षांगन	प्रत्यक्षी	बास का वर्ग	माटा	से जुड़ा	निम्न विवरण
१	२	३	४	५	६	७
सिलेज संख्या	सिलेज नाम	प्रत्यक्षी नाम	बास का वर्ग	माटा नाम	से जुड़ा	निम्न विवरण
१	२	३	४	५	६	७
सिलेज संख्या	सिलेज नाम	प्रत्यक्षी नाम	बास का वर्ग	माटा नाम	से जुड़ा	निम्न विवरण
१	२	३	४	५	६	७

Manager (Tech.)
P I U, Varanasi

न. नं. ३१८८४०, १८९८ दि. ३० अगस्त, १८८८।

प्राचीन	१	२	३	४
	मृदा	मृदा	मृदा	मृदा
१. मृदा	५६	५६	५६	५६
२. मृदा	१	१	१	१
३.	१	१	१	१
४.	१	१	१	१
५.	१	१	१	१
६. मृदा	५६	५६	५६	५६
प्राचीन	५६	५६	५६	५६

प्राचीन	१	२	३	४
	मृदा	मृदा	मृदा	मृदा
१.	१	१	१	१
२.	१	१	१	१
३.	१	१	१	१
४.	१	१	१	१
५.	१	१	१	१
६.	१	१	१	१
७.	१	१	१	१
८.	१	१	१	१
९.	१	१	१	१
१०.	१	१	१	१
११.	१	१	१	१
१२.	१	१	१	१
१३.	१	१	१	१
१४.	१	१	१	१
१५.	१	१	१	१
१६.	१	१	१	१
१७.	१	१	१	१
१८.	१	१	१	१
१९.	१	१	१	१
२०.	१	१	१	१
२१.	१	१	१	१
२२.	१	१	१	१
२३.	१	१	१	१
२४.	१	१	१	१
२५.	१	१	१	१
२६.	१	१	१	१
२७.	१	१	१	१
२८.	१	१	१	१
२९.	१	१	१	१
३०.	१	१	१	१

कार्यालय प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
मोर्जापुर - वन प्रभाग
मोर्जापुर

Manager (Tech.)
P I U, Varanasi

198

108

ग्रन्थालय बाजार, ३१ अक्टूबर, १९५८ ई. (प्रियोग १०, १९५८ ई.)

पुस्तकालय	वार्षिक	प्रति	प्रतिवर्षीय	प्रति	प्रति
	३३	१	४		
	३४	१	९		
	३५	३	१०		
	३६-३७	३७	१०		
	३८	०	१३		
	३९-४०	३	५		
	४० श्रम	६	१५		
	४१	१	२		
	४२	३	१८		
	४३	५६	५		
	४४ अप्र.	११	१५		
	४५	१०	५		
	४६ अप्र.	१	३		
	४७	१	१४		
	४८	१	२		
	४९	१	१४		
	५०	२	२		
	५१	१	७		
	५२	१	०		
	५३	३	२		
	५४	१	१५		
	५५	०	१५		
	५६	६	१२		
	५७	१	०		
	५८	१	५		
	५९	३	५		
	६०	०	१०		
	६१-६२	०	०		
	६२-६३	०	३		
	६०/६०	५	१		

दोष	२६६	१०
	३१	
	१६०.८५	
	८४७	

प्रस्तुति राशि	१३९४	५
	८४	
	२२३१.४५	
	८४७	

छाया प्रात प्रकाशन

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर


Manager (Tech.)
PIU, Varanasi

16

(114) इतर प्रवेश पत्र, 7 जनवरी, 1984 ई० (सीमा 17, 1905 तक सुना)

वन विभाग

कर्मचारी—३

अधिकारी

24 जिलेच, 1983 ई०

लॉ 597/14-2-20-23-82—प्रधानमंत्री संख्या 23(2)-१०६/14-८-६७, दिनांक 18 नवंबर, 1968 हारा
तिलोड मृदुलो 'क' में लिखित निम्न की नाराजीय वार्ताप्रिवेश, 1927 (अधिकारी संख्या 16, 1927) के अधीन अन्तर्भूत वार्ताएँ की प्रस्तावित किया गया था:

जिस प्रकार आपने मेरे अधिकारी के दायें को प्रत्युत करने के लिये दस्त अधिविष्ट द्वारा अधिविष्ट रूपालि समाज ही था, तो
आप ऐसे कोई वादे द्वारा नहीं किये गये हैं; किन्तु अनुमति 'क' में वायी सोना तक रियायत दी गयी है;

अतएव, यह दस्त अधिविष्ट की वार्ता २३ के अधीन दर्शायी जा प्रयोग करके राजप्रधान, दिनांक 14 जनवरी, 1927
में अनुमति 'क' में दर्शायित दस्त भवित्व की आरक्षण वाद प्रतिक्रिया करते हैं—

अनुमति 'क'

संख्या	लगभग दायें	संख्या	दिल्ली—दिल्ली			परमाणु—कालित	प्राप्त की गयी—संदर्भी व दृष्टिरूप
			१	२	३		
१	२	३	५९	३ ४ ०	३०	० २ ०	४८२ ० १४
२१३—५३३० दृष्टिरूप			५८	२ १८ ०	५१	२ १ ०	४७२ ० ३
१ भाग	४ ० ०	५२	३ ० ०	३३	० १२ ०	४७४ ० ३	
२	१३ ११ ०	५३	१ १९ ०	९०	१ १० ०	४८८ ० १४	
३	८ ११ ६	५४	२ ११ ०	९१	१ ११ ०	४८९ भाग १ १	
४	० ३ ०	५५	३ ८ ०	९२	१ ८ ०	४९० भाग ० १३	
५	९ १९ ०	५६	८ १४ ०	९३ भाग	१ ८ ०	४९१ भाग ० १८	
६	० १५ ०	५७	२ ७ ०	९४ भाग	१ ८ ०	४९२ ० ३	
७	१५ ६ ०	५८	४ ० ०	९५	१ ८ ०	४९३ भाग २ ३	
८	४ ४ ०	५९	१ ५ ०	९६	१ ८ ०	४९४ ० १	
९	० ६ ०	६०	१ १ ५ ०	९७	१ ८ ०	४९५ ० १	
१०	३ १४ ०	६१	१ १ ५ ०	९८	१ ८ ०	४९६ ० १	
११	४ ११ ०	६२	० १० ०	९९	१ ८ ०	४९७ ० १	
१२	० १९ ०	६३	३ ० ०	१००	१ ८ ०	४९८ ० १	
१३	२ १६ ०	६४	१ ० ०	१०१	१ ८ ०	४९९ ० १	
१४	० १७ ०	६५	२ ० ०	१०२	१ ८ ०	५०० ० १	
१५	० १८ ०	६६	१ ५ ०	१०३	१ ८ ०	५०१ ० १	
१६	१ ३ ०	६७	० १२ ०	१०४	१ ८ ०	५०२ ० १	
१७	० ३ ०	६८	० १४ ०	१०५	१ ८ ०	५०३ ० १	
१८	३ ५ ०	६९	५ १२ ०	१०६	१ ८ ०	५०४ ० १	
१९	० १६ ०	७०	२ ६ ०	१०७	१ ८ ०	५०५ ० १	
२०	१ ३ ०	७१	० १४ ०	१०८	१ ८ ०	५०६ ० १	
२१	२ २ ०	७२	० १० ०	१०९	१ ८ ०	५०७ ० १	
२२	० १५ ०	७३	० १० ०	११०	१ ८ ०	५०८ ० १	
२३	१ ६ ०	७४	२ ५ ०	१११	१ ८ ०	५०९ ० १	
२४	० २ ०	७५	० ३ ०	४६७	१ ८ ०	५१० ० १	
२५	१ १० ०	७६	१ ६ ०	४६८	१ ८ ०	५११ ० १	
२६	२ ७ ०	७७	० ५ ०	४६९	१ ८ ०	५१२ ० १	
२७	२ १ ०	७८	१ ० ०	४७०	१ ८ ०	५१३ ० १	
२८	२ १७ ०	७९	१ ० ०	४७१	१ ८ ०	५१४ ० १	

ठापा प्रति प्रगति

प्रभागीय चनाधिकारी
मीरजापुर—वन प्रभाग

मीरजापुर

Manager (Tech.)
PIU, Varanasi

Manager (Tech.)
P I U, Varanasi

नंगे 1]

उत्तर प्रदेश गवर्नर, 29 अक्टूबर, 1983 को (कालिक 7, 1905 शक संवत्)

2531

अताएव, अब, उक्त अधिनियम को पारा 20 के अन्वेषणीयों का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 15 अक्टूबर, 1983
से उक्त भूमि को आरक्षित बन घोषित करते हैं :

उन्नतज्ञों का


विलोप	तहसील	परिवार	पास का नाम	गांठा संख्या	दोपहर	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
मीरजापुर	मीरजापुर	कंसित	छागूरमस्तगां	524 नाम	बी ० वि ० वि ०	
				525	१ ६ ०	
				526	७३ ८ ०	
				527	१ ० ०	
				योग ..	१७४ १३ ०	
					या	
					109.22 एकड़ या 45.00 हेक्टेयर	

उम सीमावह सालिकाप इम/झाल—इंगार दोरी यम खाल

स्तरम् संख्या	स्तरम् की विवरण	अगले स्तरम् की अनुभावित विशेष	अगले स्तरम् की अनुभावित विशेषकोष कीण	अगले स्तरम् तक तरीके नहीं दूरी जरीए में	अगले स्तरम् तक की सीमा	विशेष विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गांठा छागूर मस्तगां एवं गांठांकों की सीमा पर	३०००००	३०.३०	२१६.३०	७.९०	सीधी सीमा	
2	गांठा संख्या 524 तथा 521 के मेह पर	३०००००	१२३.००	२५३.००	१०.००	"	
3	गांठा संख्या 524 तथा 523 के मेह पर	"	७०.००	२५०.००	५.००	"	
4	गांठा संख्या 524 ने	"	७०.००	२५०.००	५.००	"	
5	गांठा संख्या 524 तथा 522 के मेह पर	३०००००	१२८.००	३०८.००	६.६०	"	
6	गांठा संख्या 524 तथा 527 के मेह पर			आगे भित्तिपरा का जगह है।			

34.40

हामा प्रति
प्रभागीय
मीरजापुर - वन प्रभा
मीरजापुर



Manager (Tech.),
P I U, Varanasi